झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक–4 / यो० बजट–48 / 2016 - 32/स्वी० व०प०, राँची, दिनांक– 23/10/20

30 OCT 2018
2933

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,
पो०–डोरण्डा, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक कार्यान्वित की जाने वाली मुख्यमंत्री जन वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) अन्तर्गत 635 एकड़ पर फलदार पौधों का वृक्षारोपण एवं 1064 एकड़ पर काष्ठ प्रजाति का वृक्षारोपण तथा प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए कुल 492.700 लाख (चार करोड़ बानबे लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संशोधन के संबंध में।

PCCF, DEV

प्रसंगः– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची का स्वीकृत्यादेश संख्या–04 / यो०ब०–48 / 2016–37 / स्वी०, दिनांक–30.11.2017.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक कार्यान्वित की जाने वाली मुख्यमंत्री जन वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) अन्तर्गत 635 एकड़ पर फलदार पौधों का वृक्षारोपण एवं 1064 एकड़ पर काष्ठ प्रजाति का वृक्षारोपण तथा प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए कुल 492.700 लाख (चार करोड़ बानबे लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश द्वारा प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश में प्रोत्साहन स्वरुप वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।

2. विभागीय संकल्प संख्या–सह–पठित ज्ञापांक–04 / यो०ब०–79 / 2015–2005 दिनांक–14.05.2018 द्वारा मुख्यमंत्री जन वन योजना की संशोधित मार्ग–निदेर्शिका निर्गत है, जिसमें स्वीकृत वनरोपनण दर के अनुरुप लागत राशि का 75 प्रतिशत अंश लाभूक को प्रोत्साहन राशि के रुप में भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अतएव संकल्प निर्गत की तिथि के उपरांत योजना का कार्यान्वयन संशोधित मार्ग–निदेर्शिका के अनुरुप किया जायेगा।

3. पुनरीक्षित दर से किसी पूर्व के बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. स्वीकृत्यादेश की शेष सभी कंडिकाएँ तथा शर्त्तें यथावत रहेंगी।

5. उक्त स्वीकृत्यादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

अनु०–यथोक्त।

1889
31/10/18

विश्वासभाजन,

23/10

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, झारखण्ड, राँची
क्रमांक 1117
दिनांक 1/11/18

पी स प्रे संख्या 977 दि 02/11/18
का प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास

P.T.O.